निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)

(सं0 पटना 19) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

14 अक्तूबर 2014

सं0 22 / नि0सि0(सम0)–02–13 / 2011 / 1494––श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0–2, झंझारपुर के विरूद्व कार्यालय परिसर में आवास रखने एवं कार्यालय परिसर में ही बाहरी तत्वों के साथ बैठकर मदिरापान करने से संबंधित श्री रामचन्द्र सिंह, ग्रा+पो0–कैथवार, जिला–दरभंगा के परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों के संबंध में श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त लगाए गये आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाते हुए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1400 दिनांक 16.11.11 द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। तदालोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1490 दिनांक 02.12.11 द्वारा श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (निलंबित) के विरूद्ध निम्न गठित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गईः–

'' बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0–2, झंझारपुर के पदस्थापन अवधि में आपके विरूद्व प्राप्त परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप ''कार्यालय को मदिरालय बनाने'' के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। आपसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त आपके विरूद्व कार्यालय परिसर में अपना आवास रखने एवं कार्यालय परिसर में ही बाहरी तत्वों के साथ बैठकर मदिरापान करने की पुष्टि होती है जो कि गंभीर कदाचार एवं बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता का सरासर उल्लंधन है जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है।''

उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी श्री कैलू सरदार, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को नियुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में निष्कर्ष के रूप में यह अंकित करते हुए कि श्री सिंह पर लगाये गये आरोपों को साक्ष्य के रूप में उपलब्ध सी0 डी0 और फोटो के आधार पर भौतिक रूप से प्रमाणित करना संभव नहीं है, उनके विरूद्व आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि जिन सी0 डी0 और फोटो को आरोप का आधार माना गया उसके बारे में श्री सिंह द्वारा दायर सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–22821 / 11 में इन दोनों साक्ष्यों को आरोप सिद्व करने के लिए पर्याप्त नहीं माना है। विभागीय कार्यवाही प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि श्री रण विजय प्रसाद सिंह के विरूद्व आरोप लगाने वाले परिवादी ने अपने द्वारा परिवाद दिए जाने की पुष्टि नहीं

कि बल्कि परिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि किसी असमाजिक तत्व द्वारा उनके जाली हस्ताक्षर का उपयोग कर फर्जी परिवाद दिया गया।

पूरे मामले के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के विन्दु पर श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 53 दिनांक 15.01.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर के समीक्षोपरान्त श्री सिंह को निलंबन से मुक्त करने और आरोप मुक्त करने के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त अनुमोदित प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री से सहमति प्राप्त करने के क्रम में मामले की पुनः जॉच विभागीय जॉच आयुक्त से कराने का आदेश पारित किया गया।

उक्त आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 292 दिनांक 04.03.13 द्वारा पुर्नजॉच हेतु मामले को विभागीय जॉच आयुक्त बिहार, पटना को भेजा गया। विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा मामले को अपर विभागीय जॉच आयुक्त को हस्तान्तरित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (निलंबित) दिनांक 31.7.13 को सेवानिवृत हो गये। तदुपरान्त मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0–1077 दिनांक 10.9.13 द्वारा श्री सिंह को 31.7.13 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में सम्परिवर्तित किया गया।

विभागीय जॉच आयुक्त से जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने तथा प्रस्तुत मामले में दायर अवमाननावाद में दिनांक 9.10.14 तक मामले में लिए गये निर्णय से माननीय न्यायालय को सूचित करने के आलोक में मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाते हुए कि मामले में कोई वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं था एवं इस मामले में एक बार जॉच पूरी हो चुकी है एवं उसमें आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है। अतः नये सिरे से जॉच को समाप्त करते हुए पुराने पूर्व के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0–2, झंझारपुर को आरोप मुक्त करते हुए उनके निलंबन अवधि को कार्यावधि मानने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में नये सिरे से जॉच को समाप्त करते हुए श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0–2, झंझारपुर को आरोप मुक्त किया जाता है तथा उनके निलंबन अवधि को कार्यावधि माना जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 19-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in